न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 12/2023

अपीलांटगण –

1. हवी पुत्री देवाराम
2. दरिया पुत्री देवाराम
3. रूखी पुत्री देवाराम

जाति दर्जी निवासी सुरा जागीर
तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. पारस पुत्र देवाराम
2. बंशीलाल पुत्र रतनाराम
3. मोतीलाल पुत्र रतनाराम
4. राणाराम पुत्र रतनाराम
5. सवाईलाल पुत्र रतनाराम
6. जमना पत्नि रतनाराम
   जाति दर्जी निवासी सुरा जागीर
   तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 08.06.1993 ग्राम सुरा जागीर जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील बी.एल. रामावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुखदेव जाखड रेस्पोडेंट्स सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री प्रेम प्रजापत रेस्पोडेंट्स सं. 2 से 6 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 7 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 22.05.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 08.06.1993 के विरूद्ध दिनांक 09.05.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम सुरा जागीर पटवार हल्का सुरा तहसील बाड़मेर में वक्त सेटलमेंट से पैतृक खातेदारी का खेत खसरा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

संख्या 07 रकबा 7.9642 हैक्टर अपीलांटगण व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 के पिता व 2 से 5 के दादा, 07 के ससूर मुतवफी देवाराम के नाम से खातेदारी में दर्ज हुआ था। अपीलांटगण के पिता देवाराम का देहान्त सन् 1993 में हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 201 दिनांक 08.06.1993 तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया। अपीलांटगण द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.05.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्सगण की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 5 के पिता रतनाराम ने चालाकी से हल्का पटवारी से षडयंत्रपूर्वक मिलकर देवाराम के विधिक वारिसान पुत्रियों का नाम छिपाते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण मात्र रतनाराम, पारसमल, टीलाराम, ढेली देवी पत्नी देवाराम के पक्ष में पारित करवाकर राजस्व अभिलेख में अपना नाम अंकन करवा दिया गया। देवाराम के विधिक पुत्रियों अपीलांटगण का नाम उक्त नामान्तरकरण में अंकित नही करवाया गया। रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 6 के पिता व पति रतनाराम की मृत्यु दिनांक 11.05.2015 को होने पर नामान्तरकरण संख्या 501 जरिये रेस्पोडेंट्स संख्या 2 से 6 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। अपीलांटगण की माता ढेलीदेवी पत्नि देवाराम का देहान्त [illegible] तथा टीलाराम पुत्र देवाराम कुआरा लाऔलाद जिसकी दिनांक 01.12.2023 [illegible] में मृत्यु हो गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट को अपने भाईयों पर पूर्ण विश्वास था तथा अनपढ ग्रामीण महिला होने से राजस्व रेकर्ड का ज्ञान नही था। एक माह पूर्व रेस्पोडेंट्सगण अपीलांटगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी व बेदखल करने तथा हिस्से की भूमि उनके नाम न होने का कहकर बेचान करने की धमकी देने पर अपीलांटगण को अपने हक हकूक संशयप्रद लगने पर अपीलांटगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 19.04.2023 प्राप्त की गई। अपीलांटगण का नाम उनके पिता की फौतगी पर दर्ज नही होना पाया गया। अपीलांटगण के भाई टीलाराम की फौतगी पर हल्का पटवारी से निवेदन किये जाने पर अपीलांटगण का नाम ऑनलाईन जमाबंदी देखने पर ज्ञात हुआ कि उनका नाम नामान्तरकण संख्या 788 में मात्र भाई टीलाराम की फौतगी पर उसके हिस्से तक की भूमि में ही नाम दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जा रही है उक्त नामान्तरकरण प्रक्रियाधीन है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट सं. 2 से 6 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील बेबुनियाद, मनगढ़त व म्याद बाहर पेश कि गई है। अपीलांटगण को उनके पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पति में से उनके हक हिस्से अनुसार राशि व गहनों के रूप में अदा कर दिये गये थे। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांटगण ने करीब 31 वर्ष के विलम्ब से अपील पेश की गई है एवं विलम्ब को संतोषप्रद ढंग से एवं सम्यक रीति से स्पष्ट नहीं किया है इसलिये विलम्ब को माफ करना कतई न्यायोचित नहीं है । अपीलाधीन आदेश के म्याद बिन्दु के संबंध में कई प्रकार के दस्ता[illegible] खुद की स्वीकृति के उपलब्ध है। उक्त तथ्यों, [illegible] न्यायिक दृष्टातों के आधार पर अपीलांटगण की [illegible] म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांटगण द्वारा भूमि की कीमतों में बढ़ोतरी होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

अपने ससुराल वाले के दबाव आकर हक हिस्सा प्राप्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांटण लम्बे समय से अपने ससुराल में रहवास है जिनका कभी भी वादग्रस्त आराजी में मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नही रही है तथा न ही वर्तमान में कब्जा काश्त है। अपीलांटगण की अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

7. हमने अधिवक्तागण उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे पाया जाता हैं कि मौजा सुरा जागीर के खसरा नम्बर 7 रकबा 49–04 बीघा भूमि खातेदार देवा पुत्र रूपा कौम दर्जी साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदार देवाराम की फोतगी पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 201 उसके वारीसान के रूप में रतना, पारस, टीला पि0 देवा, ढेली बेवा देवा कौम दर्जी सा0 देह के नाम दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 08.06.1993 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांटगण के अधिवक्ता का कथन हैं कि मौजा सुरा जागीर पटवार हल्का सुरा के खसरा संख्या 07 रकबा 7.9642 हैक्टर भूमि अपीलांटगण की पैतृक भूमि है तथा अपीलांटगण के पिता देवाराम की फौतगी पर पारित नामान्तकरण आदेश संख्या 201 दिनांक 08.06.1993 को निरस्त करते हुए अपीलांटगण का रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 6 के साथ–साथ राजस्व रेकर्ड में सह खातेदार के रूप में नाम जोड़ते हुए अपीलांटगण का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जावें। रेस्पोडेंटगण सं. 2से6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण द्वारा यह अपील 31 वर्ष बाद विलम्ब से पेश की गई। विलम्ब को संतोषजनक एवं सम्यक पूर्ण रीति से स्पष्ट नही किया गया है। विलम्ब माफ करना कतई न्यायोचित नही है तथा दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] ही वहां पर मौखिक एवं बनावटी साक्ष्य की कोई [illegible] रखती है। अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण ने यही भी बताया की अपीलांटगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है न ही वर्तमान में है। इस प्रकार अपीलांटगण

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested

के पिता देवाराम का देहान्त सन् 1993 में हो जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 08.06.1993 के विरूद्ध यह अपील 31 वर्ष बाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त लम्बी समयावधि के असाधारण विलम्ब का कोई ठोस एवं संतुष्टिपरक कारण प्रकट नहीं किया गया है। अपीलांट्स की वर्तमान आयु के अनुसार अपीलाधीन कार्यवाही के दौरान बालिग रही हैं तथा अपने हक अधिकारों के प्रति सजग होकर चाराजोही कर सकती थी। अपीलांटगण द्वारा लम्बी समयावधि तक अपने हक–अधिकारों के प्रति उदासीन रहते हुए अब नामान्तरकरण अपील की सरसरी कार्यवाही प्रस्तुत की है, जिसमें कानूनी बिन्दुओं एवं साक्ष्यों के विवेचन एवं विश्लेषण किये जाने का दायरा सीमित हैं। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर अपने कब्ज–काश्त के तथ्य पर भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और न ही पारिवारिक बंटवाड़े द्वारा पैतृक जोत में उनके बाहमी हिस्से व काश्त के सम्बन्ध में कोई अभिकथन अंकित किया हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-05-24

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.06.19 18:32:39 IST
Reason: SelfAttested